# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चितलवाना जिला सांचौर

(पीठासीन अधिकारी हनुमानाराम आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बरः– 24/2021

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थी |
|---|---|---|
| मंगलाराम पुत्र कोजाराम<br>जाति विश्नोई निवासी मेघावा<br>तहसील चितलवाना जिला सांचौर | | 1 सरकार जरिये भूमिधारी<br>तहसीलदार चितलवाना<br>2 विरदाराम पुत्र सुजाराम<br>जाति विश्नोई निवासी मेघावा<br>तहसील चितलवाना |

**प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251ए, आर.टी. आर. एक्ट 1955**

उपस्थितः:–

1. प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री जेताराम विश्नोई।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से राजपैरोकार तहसीलदार चितलवाना।
3. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से श्री मनीराम विश्नोई।

## निर्णय

दिनांक 13/12/2023

1. प्रार्थी मंगलाराम ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 'ए' के तहत एक प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि ग्राम मेघावा के खेत खसरा संख्या 236 रकबा 1.17 हैक्टर किस्म बारानी सोयम प्रार्थी की खातेदारी व कब्जाकाश्त की भूमि आयी हुई है। जिसमे प्रार्थी की रहवासी ढाणी स्थित है। प्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि मे आने–जाने एवं कृषि कार्य करने हेतु कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थी के खेत मे आने–जाने हेतु खसरा संख्या 208 रकबा 4.89 हैक्टर किस्म किस्म बारानी सोयम मे से 8 मीटर चौड़ा व 225 मीटर लम्बा तथा खसरा संख्या 209 रकबा 1.55 हैक्टर किस्म बारानी सोयम मे से 8 मीटर चौड़ा व 192 मीटर लम्बाई का रास्ता सबसे निकटतम एंव सुविधाजनक रूट का है। इस प्रकार कुल 8 मीटर चौड़ा एवं 417 मीटर लम्बाई का रास्ता है, जो सरकारी खाते मे सिवायचक के रूप मे दर्ज है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी की आत्याधिक आवश्यकता को देखते हुए उपरोक्त भूमि मे से अपनी आराजी पर जाने के लिए नवीन रास्ता कायम कर प्रदान किया जावे। इस हेतु प्रार्थी नियमानुसार भुगतान करने को तैयार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.04.30 12:33:31 IST
Reason: SelfAttested

2. अप्रार्थी राजपैरोकार ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि प्रार्थी द्वारा अपने खातेदारी खसरा संख्या 236 रकबा 1.17 हैक्टर भूमि मे जाने हेतु रास्ता चाहा गया है जो सरकारी भूमि के खसरा 208 रकबा 4.89 हैक्टर किस्म बारानी सोयम मे से 8 मीटर चौड़ा तथा 225 मीटर लम्बा एवं खसरा संख्या 209 रकबा 1.55 हैक्टर किस्म बारानी सोयम मे से 8 मीटर चौड़ा तथा 192 मीटर लम्बा रास्ता की मांग के सम्बन्ध मे विवरण है जो मौका व रेकर्ड अनुसार सही है। राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप'6) के परिपत्र कमांक प. 03

उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना

(52) राज–612 / 14 दिनांक 14.06.2013 द्वारा प्रावधान के अनुसार खातेदार के खेत एवं कटाण रास्ता के बिच मे सरकारी भूमि आने पर डी.एल.सी दर के दुगुनी राशि देकर अपना रास्ता प्राप्त करने का प्रावधान है।

3. उभयपक्ष की सहमति से इस बारे मे मौके की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट सम्बधित तहसीलदार से तलब की गयी। तहसीलदार चितलवाना ने उभयपक्ष की उपस्थिति मे मौके की रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत किया जिसे शामिल फाईल किया गया।

4. विरदाराम द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पेश कर हितबद्व पक्षकार होने का दावा कर अप्रार्थी पक्षकार के रूप मे संयोजित करने का निवेदन किया। जिस पर बाद सुनवाई बहस अप्रार्थी संख्या 2 के रूप मे पक्षकार संयोजित किया गया।

5. अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ता राजस्व रेकर्ड मे दर्ज किसी भी सरकारी रास्ता से लगता हुआ नही है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 236 अकेले की होने का राजस्व रेकर्ड अनुसार गलत वर्णन किया है। प्रार्थी ने सहखातेदारो को पक्षकार नही नाया है। तथा न ही उनकी सहमति ली है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ते के स्थान पर मेरा रहवासीय मकान पानी का टांका एवं रोहिड़ा व खेजड़ी के पैड़ खड़े है प्रार्थी के पास इस प्रस्तावित रास्ते के अलावा विकल्प के तोर पर अन्य मार्ग उपलब्ध होने के बावजूद द्वेषतावंश धनबल के जरिये सुविधा के नाम पर उक्त भूमि सरकार के खेत मे दर्ज होने के कारण प्रस्तावित रास्ता किसी भी सरकारी कटाण रास्ते से नही लगता होने के बावजूद मुझ अप्रार्थी के शांति पूर्ण कब्जा काश्त मे मकान व पानी का टांका तुड़वा कर नुकसान पहुचाने की मंशा से झुठे कथनो के आधार पर रास्ते की बिना आवश्यकता जबरन रास्ता निकालने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है। धारा 251 'ए' के प्रावधानो के मुताबिक रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता वैकल्पिक मार्ग का आशय होना जरूरी है। जबकि प्रार्थी के पास अन्य वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है एवं मौके पर चालु है। इसी कानूनी बिन्दू पर प्रार्थना पत्र काबिल खारीज किये जाने योग्य है। अतः खारीज फरमावे।

6. उभयपक्ष की योग्य्अधिवक्तागण की बहस का श्रवण किया गया।

7. योग्य अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क है कि प्रार्थी के खेत मे जाने का कोई मार्ग नही है। इस कारण प्रार्थी को काश्त करने, कृषि उपकरण लाने ले जाने आदि मे कठिनाईयो का सामना करना पड़ रह है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित मार्ग से ही सबसे निकटतम एवं सुविधाजनक है। उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक या निकटतम मार्ग उपलब्ध नही है।

8. प्रत्युत्तर मे बहस करते हुए अप्रार्थी [illegible] योग्य अधिवक्ता के तर्क दिया कि प्रार्थी ने जहां रास्ता प्रस्तावित किया है वहां पर कोई गैर मुमकिन रास्ता नही है। प्रस्तावित रास्ता पर अप्रार्थी का रहवासीय पक्का मकान बना हुआ है। प्रस्तावित रास्ता के अलावा निकटतम [illegible] के दो अन्य मार्ग वैकल्पिक रूप से मौजूद होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है।

9. मैने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली मे संलग्न अभिलेखो का अवलोकन किया। विवेचना निम्नानुसार है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.04.30 12:33:31 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चितलवाना जिला जालोर

उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना

10. यह निर्विवाद है कि प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 236 रकबा 1.17 हैक्टर मे पहुचने हेतु वर्तमान मे सरकारी मार्ग नही है एवं प्रार्थी को रास्ता की आवश्यकता है। प्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 208 व 209 मे से रास्ता चाहा है। अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि खसरा संख्या 208 का एक हिस्सा आम रास्ता से मिलता है। यह तथ्य पत्रावली मे संलग्न नक्शे मे भी स्पष्ट होता है तहसीलदार चितलवाना की रिपोर्ट से यह जाहिर होता है कि प्रार्थी को उसके खेत पर जाने के लिए कोई पुख्ता रास्ता उपलब्ध नही है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तावित रास्ता पर खुद का रहवासीय मकान होना जाहिर किया है। इस पर तहसीलदार चितलवाना की रिपोर्ट अनुसार वर्तमान मे मौके पर खसरा संख्या 209 मे दो पक्का निर्माण है जो कि गैर आवासीय निर्माण नया है। इस सम्बन्ध मे खसरा संख्या 209 मे दर्शाये गए अतिक्रमण (निर्माण) के सम्बन्ध मे पटवारी हल्का वीरावा को धारा 91 की रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिये गए है। अतः यह स्पष्ट है कि खसरा संख्या 208 व 209 सरकारी खाते मे सिवायचक भूमि दर्ज है तथा अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अतिक्रमी के रूप मे पक्का निर्माण किया गया है। इस रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट है कि प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई विकल्प नही है। अतः निष्कर्ष समीचीन है कि प्रार्थी के खातेदारी खसरा संख्या 236 मे कृषि कार्य ट्रेक्टर आदि उपकरण के लिए वर्तमान मे कोई मार्ग नही है। साथ ही यह भी सुस्पष्ट है कि प्रस्तावित मार्ग जो खसरा संख्या 208 व 209 मे से प्रस्तावित है जिसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी नही है। अतः प्रार्थी की आत्याधिक आवश्कता है। परन्तु प्रस्तावित रास्ता 8 मीटर के बजाय अगर 5 मीटर चौड़ा रास्ता कायम किया जावे तो भी प्रार्थी को समस्त कृषि प्रयोजनार्थ मार्ग प्राप्त हो जायेगा। प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने इसमे सहमति व्यक्त की है। अतः प्रार्थी को उक्त भूमि मे से होकर अपनी आराजी मे जाने के लिए उक्तानुसार रास्ता प्रदान करना उचित है।

11. फलतः उक्त प्रमाणित तथ्यों के परिपेक्ष्य मे प्रार्थी को उसकी भूमि खसरा संख्या 236 मे जाने के लिए भूमि खसरा संख्या 208 रकबा 4.89 हैक्टर मे से 5 मीटर चौड़ा व 225 मीटर लम्बा तथा खसरा संख्या 209 रकबा 1.55 हैक्टर मे से 5 मीटर चौड़ा व 192 मीटर लम्बा नवीन रास्ता कायम करने के आदेश दिया जाता है। इस प्रकार नवीन रास्ता मे प्रयुक्त भूमि की कीमत इस क्षैत्र के लिये जिला स्तरीय कमेटी (डी.एल.सी.) द्वारा निर्धारित दर से दुगुना होगी तथा इसका भुगतान प्रार्थी द्वारा एक सप्ताह मे किया जावे। तत्पश्चात् इस भूमि को रास्ता के रूप मे राजस्व अभिलेखों मे दर्ज किया जावे तथा राजस्व नक्शा मे भी तदनुसार दर्शाया जावे। इस भूमि का के अलावा अन्य कोई उपयोग नही किया जायेगा। पत्रावली फैसलशुदा होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.04.30 12:33:31 IST
Reason: SelfAttested

( हनुमाना राम आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी चितलवाना

निर्णय आज दिनांक 13/12/2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी चितलवाना
उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना